कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़

पत्रांक– मान्यता/7385/2021–22 दिनांक– 12/05/2021

प्रबंधक
सेंट जोसफ स्कूल ,
चौसा कुण्डा प्रतापगढ़।

विषय– सेंट जोसफ स्कूल, चौसा कुण्डा प्रतापगढ़ के स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा 05/04/2021 को दिए गये पत्र से संज्ञानित हुआ कि आपके मान्यता 01/04/2018 को पत्रांक संख्या 24293–98 निर्गत की गई जिसमे मान्यता की अवधि तीन वर्ष दी गई।

शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 में प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत औपन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता के शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

प्रबंधक सेंट जोसफ स्कूल, चौसा कुण्डा प्रतापगढ़ के शपथ पत्र व खण्ड शिक्षाधिकारी विकास क्षेत्र कुण्डा प्रतापगढ़ की आख्या पत्रांक – 678–85/2020–21 दिनांक– 20.03.2021 के आधार पर उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानो के दृष्टिगत औपन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी गयी थी–तीन वर्ष की अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लघंन से सम्बन्धित कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्राप्त नहीं हुआ हैं।

अतः सेंट जोसफ स्कूल, चौसा कुण्डा प्रतापगढ़ की मान्यता शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के आधार पर मान्यता स्थायी मान ली जाती है।

भवदीय–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़.

पत्रांक– मान्यता/ /2021–22 दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. खण्ड शिक्षाधिकारी विकास क्षेत्र–कौशाम्बी ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
3. प्रबंधक सेंट जोसफ स्कूल, चौसा कुण्डा प्रतापगढ़।

MANAGER
ST. JOSEPH SCHOOL
Chausa, Kunda
Pratapgarh

PRINCIPAL
ST. JOSEPH SCHOOL
Chausa, Kunda
Pratapgarh (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़

पत्रांक / मान्यता / 24293-98 / 2017–18 दिनांक 31/3/18

प्रबंधक

सेन्ट जोसेफ स्कूल

चौसा,कुण्डा,प्रतापगढ़

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र सम्बन्धी।

महोदय / महोदया,

आप के तारीख 23.08.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वती पत्राचार / निरीक्षण / के प्रतिनिर्देश से मैं **सेन्ट जोसेफ स्कूल चौसा,कुण्डा,प्रतापगढ़** को दिनांक 01.04. 2018 से दिनांक 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये प्री–प्राइमरी से कक्षा 8 तक(अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्ययीन हैः–

1 – मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / सम्बंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 – विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 – विद्यालय कक्षा 1 में(या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 – पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 – सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्ययीन नहीं करेगा।

6 – विद्यालय किसी बालक को ,उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा,और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। एवं विद्यालय निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करेगा।

(1)– प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक,किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(2)– किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययीन नहीं किया जायेगा।

(3)– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा,उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये विवंधन के अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)– अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6)– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और है कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

(7)– अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

(8)– अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7 – विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 – विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

PRINCIPAL
ST. JOSEPH SCHOOL
Chausa, Kunda
Pratapgarh (U.P.)

MANAGER
ST. JOSEPH SCHOOL
Chausa, Kunda
Pratapgarh (U.P.)

स्थलीय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदत्त आख्या के अनुसार प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल –	1064 वर्गमी0
कुल निर्मित क्षेत्र –	775 वर्गमी0
कीडा स्थल का क्षेत्रफल –	289 वर्गमी0
शिक्षण कक्षों की संख्या –	10
प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय –सह भण्डारघर के लिये कक्ष –	03
बालक और बालिकाओं के पृथक–पृथक शौचालय / मूत्रालय –	उपलब्ध है
पेयजल सुविधा –	उपलब्ध है
मिड डे मील के लिये रसोई –	–
बाधा रहित पहुॅच –	है

अध्यापन पाठन सामाग्री / कीडा खेलकूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता – उपलब्ध है

9 – विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं संचालित नहीं की जाएगी।

10 – विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

11 – विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 – स्कूल को किसी व्यक्ति,व्यक्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा हो।

13 – विद्यालय के लेखाओं को किसी चाटर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण तैयार किया जाना चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14 – आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड सख्यांक **E-274** है। भविष्य में इस कार्यालय के साथ पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15 – विद्यालय ऐसी रिपार्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है,जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।

16 – सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

17 – संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(बी0एन0सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

पृ0सं0 / मान्यता / / 2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– सचिव,उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3– सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
5– खण्ड शिक्षा अधिकारी,सम्बन्धित कुण्डा जनपद प्रतापगढ।
6– कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु

MANAGER
ST. JOSEPH SCHOOL
Chausa, Kunda
Pratapgarh

PRINCIPAL
ST. JOSEPH SCHOOL
Chausa, Kunda
Pratapgarh (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़